

वथा हुआ तेरा वादा... नगर परिषद दुकान देने के बाद से क्यों मुकर गई...? निर्माण शुरू होने के बाद से चल रही दुकान आवंटन को लेकर उठ-पटक

माही की गूँज, पेटलावदा। संकेत गेहू़ोता

नगर के नया बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा जीर्णोद्धार किए गए काप्लेक्स की दुकानों को लेकर लगभग दो वर्ष से लगातार उठ-पटक चल रहा है। हर थोड़े दिन में दुकानों को लेकर नई चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। इस लीच दुकानों की छत और अंतरिक्त बनी एक दुकान की नीलामी और बाद मामला और उलझ गया और दुकान की आस लगा भैं पुराने दुकानदारों की लगत मूल्य में दुकान मिलने।



आश्वासन प्रक्रिया की भी बात शिकायत में की गई। जमीन नगर परिषद की निजी, हमने दुकानदारों के पक्ष में प्रस्ताव भेजा, इस प्रकार से दुकान में घुसना गलत-अधिक्षम मनोहरलाल भटेवरा

इस संबंध में नगर परिषद अधिक्षम मनोहरलाल भटेवरा ने बताया कि, जानकारी मिली है कि दुकानदार अपनी अपनी दुकान में प्रवेश कर रहे। नगर परिषद दुकानदारों के साथ है और जिला कलेक्टर को भी हमारे द्वारा दुकान पुराने दुकानदारों को दिए जाने का प्रस्ताव बना कर भेजा गया है। अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर को ही लिया है। यदि दुकानदारों ने दुकानों में प्रवेश किया है तो गलत है हमारे हाथ में कुछ नहीं है जिला कलेक्टर जैसा निर्देश करेंगे वो किया जाएगा। नगर परिषद अधिक्षम ने ये भी बताया कि, उक्त भूमि नगर परिषद की निजी है जिसको देने का अधिकार भी नगर परिषद को ही होता चाहिये।

शासकीय संघर्ष पर कोई अवैध कला करेगा
उस पर कार्यवाही की जाएगी- कलेक्टर

जर्जर रैरे बसरे और दुकान बनाकर किया दुकानों का जीर्णोद्धार, जमे नगर परिषद अपने बाद के आशासन पर हटे

पूर्व में उक्त स्थान पर रैरे बसरे के प्रति नगर परिषद अपनी और लगभग 40 वर्षों से इन दुकानों के बाद निर्माण किया गया। रैरे बसरे के निचे 8 दुकानों थीं जो नगर परिषद अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। पूरा भवन जर्जर होने के कारण कभी भी

जर्जर भवन को तोड़ कर नगर परिषद ने उक्त स्थान पर दुकान निर्माण का कार्य शुरू किया और चलते कार्य में कई बार गिरत जमीन पर निर्माण की शिकायत दर्ज करवाई गई। गिरत के बाद एसडीएम शिशिर गोपाल के आदेश पर निर्माण की गई। जिसमें शासकीय भूमि राजव्य मद की भूमि पर अंतिकर्मण निर्माण होने का बता कर कार्य रोकने का अदेश जारी कर दिया गया। पेटलावद दौरे पर अये प्रभारी मत्री इंद्रियसंह परसर के सामने मामला अने के बाद कार्य रोकने पर एसडीएम और तहसीलदार को कड़ी फटकार भी खानी पड़ी। मामला शांत होने के बाद

दुकान नगर परिषद दोनों को आठ दुकानदारों के 8 दुकान नगर परिषद दोनों को एक लाख वसूल चुकी थी। वही भवनों की छत लीज पर दे रखी थी। इसी के चलते नए काप्लेक्स की छत भी नीलामी के टेंडर जारी किये गए। नीलामी में छत 66 लाख 66 हजार में बिकी। वही एक बनी अंतिरिक्त दुकान की नीलामी टेंडर के माध्यम से की गई, जिसमें एक मात्र दुकान 55 लाख 55 हजार में बिकी। छत और एक दुकान को मिला कर नगर परिषद द्वारा रेकोर्ड के लगभग राशि प्राप्त हुई। लायो में बिकी दुकान के बाद शिकायतों का दौर शुरू हो गया और पुराने दुकानदारों को मामली दर पर दुकान देने के पीछे नगर परिषद की मिलीभगत होना बता कर शिकायत दर्ज करवाई गई। नगर परिषद द्वारा जारी एक मात्र दुकान का मिनिमम टेंडर मूल्य 11 लाख दर्शाया गया था। जिसके बाद बाकी के दुकानदारों से भी कम से कम 11 लाख वसूलने और दुकानों को पुनः नीलामी करने की आवाज उठाने लगी। नगर परिषद और यहां तक कि पुराने दुकानदारों को भी प्रबोलन देने लगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर के पास मामला गया। जर्जर कलेक्टर की ओर और नगर परिषद की दुकान नीलामी के प्रक्रिया अपने के संबंध पर जारी किया गया। जिसमें 40 वर्ष से बैठे दुकानदारों को दुकान मिलने की उम्मीद भी धुंधली

- बुधवार को अपनी दुकानों में बिना किसी निराकरण के प्रवेश कर रहे दुकानदार।

कार्य शुरू हो सका। बताया जा रहा है भूमि नगर परिषद की निजी खरीदी हुई थी जिस पर निर्माण किया जा रहा था।

लायों में बिकी दुकान और छत बनी दुकानदारों के लिए मुसीबत

जीर्णोद्धार कर बनाये गए नए कॉम्प्लेक्स की जगह 9

दुकान नगर परिषद दोनों को शिकायत के बाद भी जर्जर भवन गिराया नहीं जा सका। भाजपा नेता चंदन भंडारी

द्वारा इस जर्जर भवन की शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा उक्त

भवन को सुधाका की दूध से गिराने के निर्देश नगर परिषद को दो

से दिन बाद दिए गए थे। लेकिन उक्त भवन के प्रथम तल पर

दुकान में बैठे 8 दुकानदार दृढ़ने को तैयार नहीं थे। जिन्हें नगर

परिषद द्वारा लागत मूल्य 3 लाख 65 हजार में दुकान देने के

आधासन के बाद जर्जर भवन को तोड़ कर नए मार्केट का

निर्माण कार्य किया गया।

निर्माण के बाद जुड़ा रहा विवाद लगभग 6 माह काम रहा बन्द

काम काम रहा बन्द

<p